

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल सन्साधन संभाग, सीहोर

wrdseshore@gmail.com दूरभाष-07562292355

पत्र क्र. 2253/कार्य/2022

सीहोर, दिनांक-1/8/2022

प्रति

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन

भोपाल, मध्य प्रदेश।

विषय - जिला सीहोर के अंतर्गत महादेव बेन्द्र तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 36.141 हेक्टेयर वन भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव भाग -1 के जमा करने बाबत एवं अपलोड प्रस्ताव क्र.FP /MP /IRRIG /29731 /2017 को पोर्टल से विथड्रॉ करने बाबत।

संदर्भ - पत्र क्र./एफ-3 /87 /2022 /10 -11 /3 /714 भोपाल दिनांक - 02 -03 -2022

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला सीहोर के अंतर्गत महादेव बेन्द्र तालाब परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व में वन भूमि का ऑनलाइन प्रस्ताव क्र.FP /MP /IRRIG /29731 /2017 को पोर्टल से विथड्रॉ कर दिया जाये।

संदर्भित पत्र क्र./एफ-3 /87 /2022 /10 -11 /3 /714 भोपाल दिनांक - 02 -03 -2022 को 36.141 हेक्टेयर वन भूमि के ऑनलाइन प्रस्ताव भाग -1 में निकली गयी कमियों की पूर्ति कर आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्ताव भाग -1 में निकली गयी कमियों/त्रुटियों का बिंदुवार जवाब निम्नलिखित है।

1. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र.A -1 (vi) में प्रत्यावर्तित वन भूमि का प्रकार Non -Linear कर दिया गया है।
2. परीक्षण के दौरान प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र.C (ii)(b) में अपलोड प्रस्तावित वन भूमि की KML File में कुछ भाग में कृषि भूमि पाई गई थी, जबकि मध्य प्रदेश वन विभाग की साइट पे Forest Map & Working Plan Information System में वह भूमि Forest Compartment में ही दिखाई दे रही है।
3. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. C (iii) में सुधार कर पूर्ण SOI टोपोशीट अपलोड कर दी गई है।
4. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. D (i) में वैकल्पिक स्थलों को सही से दर्शा कर, मानचित्र की हस्तारक्षित प्रति अपलोड कर दी गई है कर दी गई है।
5. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. G (i) में अपलोड Cost Benefit Ratio में सुधार कर दिया गया है।
6. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. K (i) में 47.763 हेक्टेयर वन भूमि का FRA प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जो कि पूर्व ऑनलाइन प्रस्ताव क्र.FP /MP /IRRIG /29731 /2017 का है, नवीन प्रस्ताव में भी जो वन भूमि प्रभावित हो रही है, वह चतरकोटा और अमीरगंज ग्रामों की है और नवीन प्रस्ताव में वन भूमि 36.141 हेक्टेयर है इसलिए FRA प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

7. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. L (iv) में क्षतिपूर्ण वनीकरण हेतु 36.141 हेक्टेयर वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित कर आदेश की कॉपी पोर्टल पे अपलोड कर दी गई है।

8. प्रस्ताव भाग -1 के बिंदु क्र. L (v) में Geo Reference Map में सुधार कर अपलोड कर दिया गया है।

आपके द्वारा बताई गयी सारी कमियों को दूर कर ऑनलाइन प्रस्ताव भाग -1 आपके समक्ष प्रस्तुत है।


01/08/22

(प्रियंका भडारी)
कार्यपालन यंत्री
जल सन्साधन संभाग
सीहोर